न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–30 / 2025

जी.सी.एम.एस नं.–2025 / 51

मोहनलाल पुत्र सुरजीतसिंह जाति बावरी निवासी चक 1 यु डी एम (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.)

–––वादी

बनाम्

1. सन्तोष उर्फ सवित्री पुत्री ईसरराम जाति नायक निवासी चक 17 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. विमला देवी पुत्री सुखराम पत्नी साहबराम जाति नायक निवासी 3 जे के एम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. उप पंजीयक अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––––प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट – वादीया की ओर से
2. श्री शैलेन्द्र सिंह कामरा एडवोकेट – प्रतिवादीगण की ओर से

उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– **दिनांकः–** 29/9/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादीगण सं.–1 व 2 द्वारा चक 17 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का मु.न.–15 पं.न.–270 / 401 का 2 / 2 का 0.215, 2 / 3 का 0.025, 3 / 1 का 0.228, 3 / 2 का 0.025, 4 / 2 का 0.114, 8 व 9 प्रत्येक का 0.253, 12 / 2 का 0.240, 13 / 3 का 0.190, 16 / 3 का 0.063 कुल भूमि 1.606 हैक्टर कमाण्ड मय खाला पर वादी के हिस्सा, कब्जा काश्त, अधिकार, अधिपत्य उपयोग उपभोग, सिंचाई सुविधा के किसी प्रकार की बेजा मदाखल पैदा करने अथवा किसी अन्य व्यक्ति से करवाने से बाज व ममनू रहें तथा विवादित भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये विवादित भूमि के किसी भू भाग को किसी प्रकार से अन्यत्र हस्तातरित रहन बैचान करने से बाज व ममनू रहे तथा प्रतिववादीगण मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की तरफ से श्री शैलैन्द्र सिंह कामरा एडवोकेट उपस्थित।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने **प्रार्थना पत्र आदेश** [illegible] **सी** पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 06 [illegible] 024 [illegible] आधार बनाकर श्रीमान न्यायालय में यह वाद पत्र पेश किया हैं चूंकि तथाकथित इकरारनामा [illegible] सम्पति के सम्बध में हैं वादी कथित दस्तावेज ईकरारनामा दिनांक 10.07.2019 [illegible] माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते [illegible] माननीय राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का ना होकर माननीय सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। फलस्वरूप वादी वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर काबिल निरस्ती के है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार राजस्व न्यायालय से खातेदार टिनेन्ट ही निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जबकि वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:36 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रश्नागत भूमि का खातेदार टिनेन्ट नहीं हैं ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित हैं वादी सदभाविक क्रेता नहीं हैं जो श्रीमान न्यायालय में स्वच्छा हाथो से नहीं आया हैं अतः प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है। वादी ने प्रतिवादी सं.–1 व 2 को जानबुझकर पक्षकार मुकदमा बनाया हैं जबकि वादी ने प्रतिवादी सं.–1 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा और ना ही प्रतिवादी सं.–1 ने अपनी किसी भूमि का बैचान किया है, ना ही वादी को प्रतिवादी सं.–1 के विरूद्ध कोई वाद कारण है ऐसी स्थिति भी वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है।
अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/वादीगण ने निवेदन किया कि हैं दर्ज मद सं.–2 में क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का बिन्दु के जो कथन दर्ज किये हैं अस्वीकार हैं वाद पत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणअधिकार का है एवं वाद किसी भी हष्टिकोण से विधी द्वारा वर्जित नहीं है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। एवं कब्जा का प्रोटेक्ट करने के लिए यह वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय हैं प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र मद सं.–3 अस्वीकार हैं वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कब्जा के सबधं में वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय है। ऐसी स्थिती में प्रार्थना पत्र प्रकरण को मात्र देरीना करने की गरज से प्रस्ततु किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।प्रार्थना पत्र मद सं.–4 जिस प्रकार से दर्ज है। स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी सं.–1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए उसे पक्षकार मूकदमा बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 व 2 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादी द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित ईकरारनामा दिनांक 06.09.2024 के आधार बनाकर श्रीमान न्यायालय में यह वाद पत्र पेश किया हैं ईकरारनामा अचल सम्पति के सबधं में हैं वादी कथित दस्तावेज ईकरारनामा दिनांक 10.07.2019 के आधार पर माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता ऐसी स्थिती में माननीय राजस्व न्यायालय के श्रवनाधिकार एवं क्षेत्राधिकार ना होकर माननीय सिविल न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार को है। वादी ने प्रतिवादी सं.–1 के विरूध कोई अनुतोष नहीं चाहा और ना ही प्रतिवादी सं.–1 ने अपनी किसी भूमि का बैचान किया है। भूमि खरीद के ईकररानामा की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही बहस माना। वादी का वाद पोषणीय नहीं हैं तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतयः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग हैं जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादी का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली [illegible] वादी सं.–1 विवादित कृषि भूमि जरिए ईकरारनामा खरीद जाहिर किया हैं जबकि [illegible]दित [illegible] प्रतिवादी सं.–1 रिकॉर्डेड खातेदारी खातेदार हैं। ईकरारनामा से वादी को कोई स्वत्व प्राप्त [illegible] होता है। वादी को इकरारनामा के आधार पर नियमानुसार संविदा की [illegible] सिविल वाद पेश कर सकता है। ईकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में व[illegible] का वाद पोषणीय नहीं है। वादीया का हस्तगत वाद पूर्णतयः Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सुरेश [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:36 IST
Reason: SelfAttested

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादीगण सं.–1 व 2) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/9/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:36 IST
Reason: SelfAttested